RNI NO. MPHIN/2022/8528
डाक रजि.क्र. MP/KDW/93/2023-24

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान
स्मार्ट किसान की पहली पसन्द
haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 04 अंक 06 | (प्रति माह) अगस्त 2025 | पृष्ठ-8 | मूल्य, 5 रुपये

जानिए, अब तक कब-कब और कितने विनाशकारी भूकंपों का दुनिया कर चुकी है सामना

रूस में भयावह भूकंप ने मचाया महाप्रलय

नई दिल्ली. रूस में भीषण भूकंप आया है। यह सबसे खतरनाक है, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.7 से 8.8 तक बताई जा रही है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में आए इस भूकंप से अमेरिका से लेकर जापान तक सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और कमचटका प्रायद्वीप में अमेरिका.रूस के परमाणु ठिकाने भी हैं। वहीं जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया है। अगर जापान में सुनामी आती है तो जाहिर है उसका असर भारत के भी अंडमान.निकोबार द्वीप समूह तक भी पड़ना स्वाभाविक है। एक दिन पहले ही इस क्षेत्र में भूकंप भी आया था।

यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। इसने दुनिया भर में बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1960 में बायोबियो, चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसे वाल्डिविया भूकंप या ग्रेट चिली भूकंप भी कहा जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। इसमें 1,655 लोग मारे गए और 20 लाख लोग बेघर हो गए। वहीं, 1952 में कामचटका क्राई, रूस में दुनिया का पहला रिकॉर्डेड 9 की तीव्रता का भूकंप आया था। इससे एक बड़ी सुनामी आई, जिसने हवाई द्वीप में 10 लाख डॉलर से ज्यादा का नुकसान किया। 2011 में तोहोकूए जापान में 9.1 की तीव्रता का ग्रेट तोहोकू भूकंप आया था। इस भूकंप और सुनामी से 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 130,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए।

भारत में अब तक का सबसे भीषण भूकंप यहां आया

भारत में अब तक का सबसे भीषण भूकंप अरुणाचल प्रदेश में आ चुका है। 1950 में रिक्टर स्केल पर 8.6 की तीव्रता के आए इस भूकंप को असम.तिब्बत भूकंप भी कहा जाता है। इस भूकंप से जोरदार कंपन हुई। जमीन में दरारें तक पड़ गई और कई जगह भूस्खलन हुआ। इस भूकंप में 780 लोगों की जान चली गई।

भूकंप समझने के लिए पहले धरती की बनावट जानें

भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हमें धरती की बनावट को समझना होगा। हमारी पृथ्वी चार परतों से बनी हुई है। ये चार परतें हैं.इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मैंटल कोर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई भागों में बंटी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स होती हैं, जो भारी दबाव और तापमान की वजह से खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेट्स बहुत ज्यादा जोर से हिलती हैं, तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। रिक्टर स्केल क्या हैए जिस पर मापे जाते हैं भूकंप

यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक स्केल है, जिसका मतलब है कि रिक्टर स्केल पर हर एक अंक की बढ़ोतरी से भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिएए 6.0 तीव्रता का भूकंप 5.0 तीव्रता के भूकंप से दस गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है।

भूकंप आने की क्या होती है बड़ी वजह

भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। जब पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अचानक निकलती है, तब भूकंप आते हैं। मगर, सबसे बड़ा कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह को बनाने वाली बड़ी चट्टानें हैं। ये प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं और जब वे आपस में टकराती हैं या एक.दूसरे से दूर जाती हैं, तो भूकंप आ सकता है। कुछ भूकंप मानव जनित हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के अलावा, ज्वालामुखी के फटने, भूस्खलन, खदानों में विस्फोट, परमाणु परीक्षणों की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं।

भारत में आए 5 सबसे विनाशकारी भूकंप

स्थान	मौत
भुज, गुजरात (2001)	20,000
लातूर, महाराष्ट्र(1993)	10,000
उत्तरकाशी, उत्तराखंड(1991)	770
किन्नौर, हिमाचल प्रदेश (1975)	768
अंडमान द्वीप समूह (1941)	जानकारी नहीं

दुनिया के 5 सबसे भीषण और विनाशकारी भूकंप

सबसे बड़े भूकंप	तीव्रता (रिक्टर पैमाने पर)	कब
ग्रेट चिली भूकंप	9.5	1950
ग्रेट अलास्का USA	9.2	1964
सुमात्रा, इंडोनेशिया	9.1	2004
कामचटका क्राई, रूस	9.0	1952
बायोबियो, चिली	8.8	2010

हिमाचल प्रदेश के में मक्का फसलों पर फॉल आर्मीवॉर्म का अटैक, 15 फीसदी से फैला अधिक संक्रमण

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

हिमाचल प्रदेश।

प्रदेश के कई हिस्सों में फॉल आर्मीवॉर्म की भारी संख्या में मौजूदगी दर्ज की गई है, जिससे मक्के की फसल को बड़ा खतरा पैदा हो गया है और किसानों में चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उत्तर जोन के कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना और चंबा जिले में काफी बड़े स्तर पर संक्रमण देखा गया है। इस जोन में लगभग 1.70 लाख हेक्टेयर में मक्के की बुवाई की गई है।

22 जुलाई तक ऊना जिले में फॉल आर्मीवॉर्म का संक्रमण करीब 15 फीसदी पाया गया है। हमीरपुर में 10.12 फीसदी, कांगड़ा के निचले हिस्सों में 12 फीसदी, चंबा में 10 फीसदी और मंडी जिले की कुछ जगहों पर 8 से10 फीसदी संक्रमण की सूचना मिली है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फॉल आर्मीवॉर्म जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्पोडोप्टेरा फ्रुगिपरडा कहा जाता है, मक्का की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। इसकी सूंडियां (लार्वा) मक्के की पत्तियों, फूलों और भुट्टों को खा जाती हैं, जिससे उपज में भारी गिरावट आती है। ये कीट पौधे के तनों के अंदर तक घुस जाते हैं और अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे पौधा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। भारत में यह बीमारी पहली बार 2018 में कर्नाटक में पाई गई थी। हिमाचल में वैज्ञानिकों ने इसे 2019 में देखा था।

मंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक

इस खतरे को देखते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कृषि विभाग के उत्तर जोन के अतिरिक्त निदेशक डॉ. राहुल कटोच, पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. नवीन कुमार, एटीएमए और जेआईसीए प्रोजेक्ट्स के अधिकारी और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए।

रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना जरूरी है

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि फसल की शुरुआती अवस्था में ही प्राकृतिक खेती पर आधारित रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम हो सके। विभागीय अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर लगातार और सख्त निगरानी रखने पर जोर दिया, ताकि समय पर कीट की पहचान और नियंत्रण किया जा सकेञ कृषि मंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि वे पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना जैसे संस्थानों के साथ मिलकर काम करें और इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए अनुभव और जानकारी का आदान.प्रदान करें।

इस तरह करें फसल का इलाज

उत्तर जोन के अतिरिक्त कृषि निदेशक डॉ. राहुल कटोच ने कहा कि किसानों को अपने खेतों की नियमित निगरानी करनी चाहिए, अगर कीट प्रकोप 10 फीसदी से कम है, तो रासायनिक दवाओं की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में नीम से बने अर्क या प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले अन्य जैविक विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बायो.पेस्टीसाइड्स भी असरदार हो सकते हैं। लेकिन अगर संक्रमण 10 फीसदी से ज्यादा हो जाए तो क्लोरांट्रानिलिप्रोल या एमामेक्टिन बेंजोएट(4 मिली प्रति 10 लीटर पानी) जैसे रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए।

आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार किया प्लास्टिक का विकल्प बांस से बनाए कारों के डैशबोर्ड, दरवाजों के पैनल

हलधर किसान, नई दिल्ली। अब तक आपने आपकी गाड़ी में प्लास्टिक के पार्ट्स देखें होंगे, लेकिन अब जल्द ही इनकी जगह बांस का इस्तेमाल हो सकता है? हां, यह सच है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने लोकल बांस और कुछ खास तरह के बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर को मिलाकर एक नया और बेहद मजबूत मैटेरियल बनाया है। इससे गाड़ियों के डैशबोर्ड, सीट के पीछे के हिस्से और दरवाजों के पैनल बन सकते हैं।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉ. पूनम कुमारी की टीम ने इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च की है। उन्होंने बांस के रेशों को पेट्रोलियम.आधारित और बायो.आधारित एपॉक्सी के साथ मिलाकर चार अलग.अलग तरह के कंपोजिट बनाए।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पर्यावरण.अनुकूल मैटेरियल विकसित किया है, जो पारंपरिक प्लास्टिक की जगह ले सकता है। यह नया कंपोजिट पूर्वोत्तर भारत में उगने वाली बांस की एक प्रजाति बंबूसा टुल्डा और बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर से मिलकर तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि बांस की यह प्रजाति बेहद तेजी से बढ़ती है। इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलने की संभावनाओं को बल मिलेगॉ

इसकी खासियत यह है कि यह बांस हल्का और मजबूत होने के साथ बेहद गर्मी को भी सहन कर सकता है। यह सस्ता होने के साथ बेहद कम नमी को सोख्ता है। इसलिए यह खासतौर पर कार के डैशबोर्ड, दरवाजों के पैनल और सीटों के पीछे लगने वाले हिस्सों में प्लास्टिक और मेटल का बेहतरीन विकल्प बन सकता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मैटेरियल न केवल प्लास्टिक कचरे की समस्या को हल कर सकता है, साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योग में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की बढ़ती वैश्विक मांग का भी हल पेश करता है।

इस बारे में किए अध्ययन का नेतृत्व आईआईटी गुवाहाटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर पूनम कुमारी ने किया। उनके साथ रिसर्च स्कॉलर अबीर साहा और निखिल दिलीप कुलकर्णी भी इस शोध में शामिल रहे। शोध के नतीजे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल एनवायरमेंट, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (स्प्रिंगर नेचर) में प्रकाशित हुए हैं।

अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों ने बांस की बंबूसा टुल्डा नामक प्रजाति से चार तरह के कंपोजिट तैयार किए, जिन्हें जैव.आधारित और पेट्रोलियम.आधारित एपॉक्सी के साथ जोड़ा गया। इन बांस के रेशों को जैविक और पेट्रोलियम.आधारित पॉलिमर से जोड़ा गया। बांस के रेशों को खास तरीके से ट्रीट करने से उनकी मजबूती बढ़ाई गई। फिर इन कंपोजिट्स को 17 अलग.अलग मानकों जैसे ताकत, गर्मी सहन करना, टिकाऊपन, नमी सोखना और लागत पर परखा गया।

क्यों है यह इतना खास

इनमें से हर कंपोजिट की अपनी ताकत और कमजोरी थी, लेकिन कोई भी सभी जरूरी गुणों के साथ संतुलित और बेहतरीन विकल्प नहीं था। सबसे बेहतर विकल्प पहचानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल किया। नतीजों में जैव.आधारित एपॉक्सी फॉर्मुलाइट से बना बांस कंपोजिट सबसे बेहतर पाया गया। इसकी कीमत 4,300 रुपए प्रति किलो है, जो इसे कार के डैशबोर्ड, दरवाजे के पैनल और सीट के पीछे के हिस्सों जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए एक किफायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाता है।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का आधार बन सकता है बांस

इस बारे में डॉक्टर पूनम कुमारी ने प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी किए ष्यह नया कंपोजिट इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और भवन सामग्री जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है। यह लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक जैसे पारंपरिक मैटेरियल की जगह ले सकता है और इसकी लागत भी करीब.करीब उनके बराबर होगी। उनके मुताबिक यह मैटेरियल सतत विकास के लक्ष्यों 7, 8 और 9 को हासिल करने में भी मदद करेगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्रांति के भी अनुरूप है।

खुरपका.मुंहपका से पशु नहीं होंगे बीमार, शुरु किया टीकाकरण

हलधर किसान भोपाल।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में होने वाली खुरपका.मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बारिश के दौरान पशुओं को यह बीमारी अपनी चपेट में लेती है। इससे पशुओं की जान भी चली जाती है, जबकि इलाज में पशुपालकों को वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है।

मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग ने खुरपका.मुंहपका बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। टीकाकरण के लिए पशुपालकों से कोई राशि नहीं ली जा रही है। यह अभियान राज्य के झाबुआ जिला में योगेश्वर कृष्ण गौशाला कल्याणपुरा से शुरु हुआ है। चरणबद्ध तरीके से यह अभियान राज्य के अन्य जिलों में भी चलाया जा रहा है।

30 अगस्त तक लगाए जाएंगे मुफ्त टीके

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत यह अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान सभी गोवंश और भैंस वंशीय पशुओं को टीका लगाया जाएगा।

यह एक वायरस जनित बीमारी है, जो पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी में पशुओं के मुंह और पैरों में छाले हो जाते हैं, जिससे उन्हें भूख कम लगती है, बुखार होता है और दूध देने की क्षमता में भारी गिरावट आती है। झाबुआ जिले के पशुपालन प्रभारी ने बताया कि यह बीमारी 8 से 15 दिन तक रह सकती है और कई बार पूरे पशुधन को प्रभावित कर देती है। इससे बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह टीकाकरण कार्यक्रम पूरी तरह निशुल्क है। सभी पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी पशुओं को टीका जरूर लगवाएं।

गांव.गांव में चलेगा विशेष अभियान

झाबुआ जिले में यह विशेष टीकाकरण अभियान पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गांव.गांव जाकर चलाया जा रहा हैए सभी पशुओं का टीकाकरण करने के लिए पशु चिकित्सकों और सहायकों की टीमें बनाई गई हैं।

पशुपालन विभाग का कहना है कि पशुपालक समय पर अपने पशुओं को टीका लगवाएं, तो इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सकता है।

पशुगणना: 7 साल में 20 फीसदी घट गए हाथी,अस्तित्व पर मंडराते खतरों और इंसान के साथ बढ़ते टकराव पर लिए कई निर्णायक फैसले

देश के 22 राज्यों में 1911 बंदी हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी, बैठक में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

देहरादून। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रोजेक्ट एलीफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हाथी क्षेत्र वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ.साथ प्रमुख संरक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट एलीफेंट की प्रगति की समीक्षा और भारत में हाथी संरक्षण के भविष्य की रूपरेखा तैयार की।

बैठक का मुख्य फोकस मानव.हाथी संघर्ष की मौजूदा चुनौती से निपटना था, जो मानव सुरक्षा और हाथी संरक्षण दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। यादव ने वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों जैसी संस्थाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, श्री यादव ने रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मृत्यु पर व्यवस्थित डेटा संग्रह और विश्लेषण के महत्व और देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए राज्यों, संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बंदी हाथियों की डीएन, प्रोफाइलिंग में प्रगति हुई है, 22 राज्यों में 1,911 आनुवंशिक प्रोफाइल तैयार किए जा चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में समन्वित हाथी जनसंख्या आकलन का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसमें 16,500 से अधिक गोबर के नमूने एकत्र किए गए हैं। नीलगिरि हाथी अभयारण्य के लिए आदर्श हाथी संरक्षण योजना पर काम चल रहा है और दिसंबर 2025 तक इसके अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए, जिनमें हाथी.ट्रेन टकराव को कम करने के उपायों पर एक रिपोर्ट, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 23 वर्षों के मानव.हाथी संघर्ष पर एक व्यापक अध्ययन, बंदी हाथियों के लिए सुरक्षित दांत काटने की प्रथाओं पर एक सलाह, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के त्रैमासिक समाचार पत्र ट्रम्पेट का नवीनतम संस्करण शामिल है।

भविष्य को देखते हुए, समिति ने 12 अगस्त को तमिलनाडु के कोयंबटूर में मनाए जाने वाले विश्व हाथी दिवस की तैयारियों पर चर्चा की, जहां गज गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगामी पहलों में नीलगिरि ईसीपी को अंतिम रूप देना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन वर्षीय हाथी ट्रैकिंग अध्ययन शुरू करना, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के सहयोग से हाथी रिजर्वों में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन करना और उदलगुरी परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिपु.चिरांग हाथी रिजर्व के लिए एक एकीकृत संरक्षण रणनीति विकसित करना शामिल है।बैठक में केवल हाथियों की बात नहीं हुई, बल्कि भारत के जैविक विविधता को बचाने की दिशा में व्यापक योजना पर भी काम हुआ। भालू और घड़ियाल जैसी विलुप्तप्राय प्रजातियों को भी संरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई।

पूर्वोत्तर भारत में हाथियों की संख्या का सटीक अनुमान

गौरतलब है कि 2017 में देश में हाथियों की संख्या 29,964 दर्ज की गई थी, लेकिन 2022.23 की अंतरिम रिपोर्ट में यह संख्या करीब 20 प्रतिशत तक घट गई बताई गई है।

भालू और घड़ियाल भी आए संरक्षण के दायरे में

प्रोजेक्ट एलीफेंट की बैठक में यह भी तय किया गया कि भालू और घड़ियाल जैसी प्रजातियों को भी अब प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की जैव विविधता को संतुलित रखना और विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही प्रजातियों को नया जीवन देना है।

सफलता की कहानी......

माहेश्वरी साड़ियों से हेमलता ने देश में बनाई अपनी पहचान

हलधर किसान भोपाल.

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हेमलता खराड़े आज महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं। कभी गांव.गांव में मजदूरी कर महीने भर में मुश्किल से 800 रुपये कमाने वाली हेमलता ने अपनी मेहनतए हुनर और आत्मविश्वास से खुद की दुनिया ही बदल दी। आज वे न सिर्फ सफल उद्यमी हैंए बल्कि 15 महिलाओं को रोज़गार देकर उन्हें भी आत्मनिर्भरता की राह पर ले जा रही हैं।

हेमलता का जीवन बदला आजीविका मिशन और हथकरघा विकास निगम की मदद से वर्ष 2008 में उन्होंने निगम की ओर से 6 माह की ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने लूम पर काम करना सीखा। इसके बाद वे हथकरघा भवनों में काम करने लगीं और अपने कौशल से पहचान बनाते हुए वर्ष 2012 में खुद का हथकरघा समूह शुरू किया। शासन ने उनके आत्मविश्वास और काम को देखते हुए वर्ष 2016 में भवन भी उपलब्ध कराया।

हेमलता ने महेश्वर की पारंपरिक माहेश्वरी साड़ियों को अपनी कला से नई पहचान दी है। आज वे देश के विभिन्न शहरों दृ मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ, गुवाहाटी, इंदौर और भोपाल आदि में आयोजित हैंडलूम एग्जीबिशनों में हिस्सा लेती हैं। उनकी मासिक आय करीब 25,000 रुपये है और सालाना लगभग 2.5 लाख रुपये तक की कमाई हो जाती है।

हेमलता बताती हैं कि उनके स्व.सहायता समूह में तैयार साड़ियों में महेश्वर किले की झलक, झरोखा बूंटी, जाली बूटी, कैरी बूटी, असरफी बूटी जैसे पारंपरिक डिज़ाइन बुनाई जाते हैं। खास बात यह है कि वे नर्मदा नदी की लहरों को भी साड़ियों की बॉर्डर में सजाकर उसकी प्राकृतिक छटा को परिधानों में पिरोती हैं।

अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट से व्यापारी और किसान दोनों को मिलता है लाभ: जिलाध्यक्ष श्री दूबे

` रिटेलर डीलर मीट में लांच किए नए प्रोडक्ट, जिलेभर के व्यापारी हुए शामिल

हलधर किसान

इंदौर। जापान की सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रविवार शाम राउ स्थित होटल में रिटेलर डीलर मीट व नए प्रोडक्ट लॉचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें इंदौर जिले सहित संभाग के कृषि आदान विक्रेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि आदान विक्रेता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे थे।

उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित यह कार्यक्रम के माध्यम से व्यवसायियों को अपने डीलरों के साथ जुड़ने, नए उत्पादों को पेश करने और बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम डीलरों को उत्साहित करने, उनके साथ मजबूत संबंध बनाने और उन्हें अपने उत्पादों को प्रभावी ढंग से बेचने के लिए आवश्यक जानकारी और समर्थन प्रदान करने का एक शानदार अवसर है।

श्री दुबे ने कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों की समस्याओं को भली- भांति जानता हूं। वर्तमान में सीजन के दौरान कृषि विभाग द्वारा नए निति- नियम लागू कर ग्राहकी के दौरान दुकानों पर निरीक्षण किया गया, हम इसका विरोध नही करते। यह ठीक भी है, लेकिन हमारी मांग है कि जो व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर रहा है और यदि सीजन में छोटी गलती होती है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि व्यापारी, किसान और कृषि विभाग तीनों एक दूसरे के पूरक है। यह मिलकर काम करेंगे तभी बेहतर उत्पादन होगा। श्री दुबे ने कहा कि सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट लंबे समय से बाजार में उपलब्ध है और इनका रिजल्ट भी अच्छा है। हम चाहते है कि ऐसी ही अच्छी कंपनियां बाजार में अपने प्रोडक्ट उतारें, जिससे कृषि और कृषि व्यापार दोनों बेहतर परिणाम देकर देश को उन्नति की ओर अग्रसर करे।

कार्यक्रम में कंपनी के नेशनल सेल्स मैनेजर प्रभाकर चौधरी, जोनल मार्केटिंग मैनेजर भगवान वर्मा व रीजनल सेल्स मैनेजर राजू जाट ने दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। श्री चौधरी ने जब से कंपनी इंडिया में अस्तित्व में आई है, तब से लेकर अब तक कंपनी की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कंपनी के पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट वर्तमान में है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डीलरों को नए उत्पादों के बारे में जानकारी देना, उनके लाभों और विशेषताओं को समझाना और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि ये उत्पाद बाजार में सफल होंगे। इसके साथ ही आप सब के साथ मजबूत संबंध बनाने का एक शानदार अवसर भी है। कंपनी के एसोसिएट मैनेजर कुलदीप पाटीदार ने कार्यक्रम का संचालन किया। डीलरों ने भी प्रोडक्ट को लेकर सवाल पूछकर जवाब जानने के बाद अपने मन में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत किया।

संगठन से जुड़ने की अपील

मुख्य अतिथि श्री दुबे ने कार्यक्रम के दौरान कृषि आदान विक्रेताओं से कृषि आदान विक्रेता संघ से जुड़ने की अपील की।

दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान गत दिनों अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रेश और हाल ही में राजस्थान झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से असमय हुई निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदनाएं जताते हुए उन्हें दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई।

उन्होंने कहा कि संगठन की शक्ति से ही अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। वर्तमान में कृषि आदान विक्रेता संघ का सदस्यता अभियान चल रहा है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में व्यापारी इस संगठन से जुड़े।

यह रहे मौजूद टेरिटरी मैनेजर

कार्यक्रम में जयकिशन परिहार, प्रोडक्ट प्रमोटर ऑफिसर दुर्गेश गोयल, प्रोडक्ट प्रमोटर ऑफिसर बलराम पटेल, प्रोडक्ट प्रमोटर ऑफिसर रवि परमार, सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक वाणी, उपाध्यक्ष पूनम हरदिया, उपाध्यक्ष आशीष लाठी, संगठन के पदाधिकारी किशोर पुराणिक, सुनील पाटीदार सहित बड़ी संख्या में कृषि आदान व्यापारियों के साथ कंपनी कर्मचारी मौजूद रहे।

2 सालों में रकबा 50 प्रतिशत से अधिक गिरा जैविक खेती का रकबा, संसद में पेश किए आंकड़े

हलधर किसान नई दिल्ली. बीते दो सालों में प्रमाणित जैविक खेती के तहत रकबे में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में 2022.23 के दौरान प्रमाणित जैविक खेती का रकबा 9.36 लाख हेक्टेयर था। लेकिन, अब यह नीचे गिरकर 4.37 लाख हेक्टेयर रह गया है। बता दें कि केंद्र ने संसद में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणित भूमि से जुड़े आंकड़े संसद में पेश किए थे। इन्हीं आंकड़ों में सामने आया कि गुजरात का प्रमाणित जैविक रकबा सिकुड़ गया है।

रकबे में बड़ी गिरावट के बाद भी प्रमाणित जैविक खेती के रकबे में गुजरात चौथे पायदान पर बैठा है। वहीं, पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। एमपी में 10.13 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती के तहत प्रमाणित है। इसके बाद 9.67 लाख हेक्टेयर के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 5.52 लाख हेक्टेयर रकबे के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है।

क्या है एनपीओपी?

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले एपीडा द्वारा संचालित एक प्रमाणन योजना है। यह योजना जैविक खेती, उसकी प्रमाणन प्रक्रिया और प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करती है।

लाखों किसानों ने पकड़ा प्राकृतिक खेती का हाथ

जैविक खेती के रकबे में गिरावट की बात ऐसे समय सामने आई है, जब गुजरात के किसानों के बीच प्राकृतिक खेती का चलन देखा जा रहा है। अभी प्रदेश में प्राकृतिक खेती का रकबा 7.92 लाख हेक्टेयर है। वहीं, 9.71 लाख से अधिक किसान खेती की इस पद्धति का हाथ थाम चुके हैं। दक्षिण गुजरात के डांग जिले की बात करें तो इस जिले को 100 फीसदी प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित कर दिया गया है।

क्या प्राकृतिक और जैविक खेती अलग हैं?

खेती की इन दोनों पद्धतियों में रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन, जैविक खेती में कम्पोस्ट, गोबर और दूसरी सामग्रियों का उपयोग होता है और उसे एनपीओपी के तहत कड़े प्रमाणन मानकों का पालन करना पड़ता है। वहीं, प्राकृतिक खेती बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती और सूक्ष्मजीव गतिविधियों एवं मिट्टी के प्राकृतिक अपघटन को बढ़ावा देती है। प्रशिक्षक रमेश रूपारेलिया कहते हैं प्राकृतिक खेती में गोबर और गोमूत्र जैसे पारंपरिक साधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। भले ही प्रमाणित जैविक खेती में गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन प्राकृतिक खेती के बढ़ते चलन के चलते रसायन.मुक्त खेती की दिशा में एक व्यापक बदलाव देखा जा सकता है।

कृषि आदान विक्रेताओं ने दिखाई एकजुटता, सांकेतिक हड़ताल कर सौपा ज्ञापन

सैंपल फेल होने पर विक्रेता नही कंपनी को माना जाए दोषी, टेगिंग प्रथा पर लगे रोक

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र
हलधर किसान

रतलाम। जिले के कृषि आदान विक्रेताओं ने व्यापार व व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को लेकर एकजुटता दिखाते हुए सांकेतिक हड़ताल की। व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर सभा आयोजित की, जहां प्रदेश और केंद्रं स्तर की समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। इसके बाद रैली के रुप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में उर्वरक कंपनियों द्वारा यूरिया, डीएपी और एनपीके के साथ की जा रही, अनिवार्य टैगिंग को प्रभाव से बंद करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन के पूर्व निकाली रैली में दादागिरी बंद करो, बंद करो सहित अन्य नारे लगाते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां उप संचालक कृषि को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में प्रदेश पदाधिकारी संजय रघुवंशी और श्रीकृष्णा दुबे भी शामिल हुए। संघ के संरक्षक विमल मांडोत, अध्यक्ष जानकीदास बैरागी, उपाध्यक्ष बुरहान लुकमानी, सुमित रांका, विजय गुदानलिया, आनंद माहेश्वरी, मांगीलाल रेगा, कुतुबुद्दीन रावटीवाला, कांतिलाल मेहता, अर्जुन जाट, अमित रांका, निलेश टांक, अंतिम अग्रवाल आदि ने बताया कि हम खाद.बीज कंपनियों से लेते हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाना चाहिए, जबकि कृषि विभाग सैंपल फेल होने पर व्यापारी को दोषी ठहराते हुए लायसेंस निरस्ती के साथ ही कार्रवाई में मुख्य दोषी व्यापारी को करार देते है जो गलत है।

ज्ञापन में बताया कि हम खाद, बीज एवं कीटनाशक, दवाई निर्माता कंपनियों से सील और पैक बंद ही खरीदते हैं। इसके बाद सील पैक बंद ही विक्रय करते हैं। वहीं यदि विभाग के अधिकारी जांच के लिए आते हैं तो जांच के दौरान सैंपल लेने पर सील पैक सैंपल देते हैं, लेकिन सैंपल फेल होने पर प्रथम दृष्टया विक्रेताओं पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाती है। इसमें विक्रेताओं की क्या गलती है। सैंपल फेल होने पर विक्रेता पर कार्रवाई ना करते हुए निर्माता कंपनी पर कार्रवाई की जाए एवं विक्रेताओं को साक्ष्य के रूप में मान्य किया जाए। वहीं कीटनाशक दवाई एवं बीज के सैंपल लेने के नियमानुसार विक्रेता से खरीदी का बिल लिया जाए एवं उसका भुगतान भी किया जाए। सैंपल भी निर्धारित मात्रा में ही लिया जाए। बांगरोद में एक फर्म द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनि कंपनियों के उत्पाद के नाम से दूसरे उत्पाद किसानों को देकर विक्रय बिल दिया जाता है। यह उत्पाद कम गुणवत्ता वाले और बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से विक्रय कर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। इसकी शिकायत पर सिर्फखाना पूर्ति की गई जो कि चिंतनीय है। इससे सही ढंग से जांच कर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर रतलाम जिला खाद, बीज, दवाई विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष रमेश गर्ग, संजय रघुवंशी, ओपी पोरवाल, लोकेश मित्तल आदि मौजूद थे। इस दौरान खाद, बीज और दवाई विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें नहीं मानी गई तो आगे अनिश्चतकालीन हड़ताल की जाएगी।

यह है मांगे- राष्ट्रीय सहित जिला स्तर की समस्याओं को लेकर सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि- सैंपल लेन के दौरान विभाग विक्रेता से संबंधित दवाई का बिल लें और दि जांच में सैंपल अमानक पाया जाता है तो कंपनी पर कार्रवाई करें, विक्रेता को साक्षी माना जाए। सैंपल लेने के दौरान निर्धारित मात्रा में सैंपल लिया जाकर और उस कृषि आदान की राशि का भुगतान भी किया जाए। जिले के बांगरोद में राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के नाम पर किए जा रहे अन्य उत्पादों की जांच की जाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। व्यापारियो ने बताया कि एफएमसी कंपनी का प्रोडक्ट जो वह 1200 रूपए में कंपनी से खरीद रहे है, वह संबंधित कंपनी द्वारा महज 400 रूपए में बेच रहा है, जो जिससे प्रीतीहोता है कि प्रोडक्ट अमानक स्तर का है।

टेगिंग प्रथा से उठाना पड़ता है नुकसान

कृषि आदान विक्रेता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी ने कहा उर्वरक पर टेगिंग प्रथा से कई उर्वरक निर्माता कंपनी यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरक तभी उपलब्ध कराते हैं, जब किसान उनके साथ अन्य उत्पाद भी खरीदें। कई बार तो किसानों को यह कहकर मना कर दिया जाता है कि उर्वरक उपलब्ध नहीं है, जबकि वे दूसरे उत्पाद न लेने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में टेगिंग के नाम पर कंपनी द्वारा भेजा गया, उत्पाद गोदाम में भी एक्सपायर हो रहा है, जिसके नुकसान की भरपाई व्यापारी को करना पड़ती है। श्री दुबे ने कहा कि कृषि विभाग सहित केंद्र एवं प्रदेश सरकार कृषि आदान व्यापार पर तो निगरानी रखती है, लेकिन दवाई व्यापार पर आज तक कोई निगरानी या कार्रवाई नजर नही आई, जबकि वह जीवन से जुड़ी दवाईयां बेचते है।

प्रदेश पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी

प्रदर्शन में शामिल हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रादेशिक सचिव संजय रघुवंशी ने बताया कि शासन से मांग की गई कि हमारी जो वास्तविक मांग है। उसको पूरा किया जाए।

प्रदेश उपाध्यक्ष दुबे बोले व्यापार हितों से नही करेंगे समझौता प्रदर्शन में शामिल हुए कृषि आदान विक्रेता संघ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम विक्रेता है, निर्माता नही...वर्तमान में केंद्र ओर प्रदेश सरकार नित-नए नियम लाकर कृषि व्यापार को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे है, जबकि व्यापारी खुद का प्रोडक्ट तैयार नही कर रही है। कई प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के है, जिन्हें केंद्र सरकार ही अनुमति देती है। ऐसे में इनके अमानक होने पर इन्हें अनुमति देने वाले विभाग को सबसे पहले दोषी माना जाना चाहिए।

विदेशी नही, भारतीय कृषि और किसानों की शक्ति को पहचानिए

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में अभी भी आत्मनिर्भरता की प्रबल संभावनाएं हैं। देश में ऑर्गेनिक खेती, पारंपरिक बीज, जैविक खाद, मिलेट्स, औषधीय वनस्पतियां और छोटे किसान आधारित कृषि मॉडल आज भी टिकाऊ, सुरक्षित और बाजारोन्मुख समाधान प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एक वर्किंग पेपर ने देश के कृषि जगत में गहरी चिंता और असंतोष उत्पन्न किया है। इस पेपर में अमेरिका से कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने, जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सोयाबीन व मक्का को भारत में लाने और भारत को इन उत्पादों के लिए एक संभावित आयातक बाजार के रूप में खोलने की सिफारिश की गई है।

यह प्रश्न अब राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन चुका है कि क्या भारत अब केवल वैश्विक कृषि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक विशाल उपभोक्ता मंडी बनकर रह जाएगा और क्या हमारे नीति.निर्माता अब भारतीय किसानों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि वैश्विक खाद्य व्यापार लॉबी के परामर्शदाता बनते जा रहे हैं? भारत अभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127वें स्थान पर है। करोड़ों लोगों को आज भी संतुलित पोषण उपलब्ध नहीं। ऐसे में अमेरिका से जीएम खाद्यान्न मंगाने की सिफारिश, न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि भारत को एक जेनेटिक डंपिंग ग्राउंड में बदलने की मंशा भी उजागर करती है। विज्ञान और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभावों पर आज भी गंभीर प्रश्न चिह्न हैं। जैव विविधता, परागण प्रणाली, मृदा स्वास्थ्य और मानव जीवन पर इसके संभावित नकारात्मक परिणामों के बावजूद नीति आयोग द्वारा इस दीदादिलेरी के साथ जीएम खाद्य पदार्थों पक्ष लिया जाना चिंताजनक है।

नीति आयोग का यह सुझाव कि भारत को अमेरिकी सोयाबीन तेल का आयात आसान बनाना चाहिए, सीधे.सीधे देश के तिलहन किसानों की उपेक्षा है। देश में सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी और सोयाबीन जैसे फसलों की अपार संभावनाएं होते हुए भी उनके उत्पादन, मूल्य समर्थन और विपणन पर कोई सार्थक चर्चा नहीं की गई। यदि अमेरिका से जीएम तेल सस्ता मिलता है, तो भारतीय किसान के उत्पादों की कीमत कौन देगा ? क्या आत्मनिर्भर भारत केवल भाषणों में रहेगा और ज़मीनी नीति आयात आधारित भारत की ओर बढ़ेगी? यह पेपर नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉ. रमेश चंद एवं सलाहकार राका सक्सेना द्वारा तैयार किया गया है। यह वही समय है जब भारत.अमेरिका के बीच संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। क्या यह केवल संयोग है कि आयोग अब अमेरिका के कृषि हितों की सिफारिशें कर रहा है? यदि कृषि नीति वे लोग बनाएंगे जिन्होंने कभी खेत की मिट्टी नहीं छुई, न किसानों की लागत समझी, न ऋण का बोझ, तो फिर भारत की कृषि आत्मा का हनन निश्चित है। इथेनॉल उत्पादन हेतु अमेरिका से जीएम मक्का आयात करने का प्रस्ताव न केवल हास्यास्पद है, बल्कि देश के गन्ना किसानों का अपमान भी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में लाखों गन्ना किसान अभी भी चीनी मिलों से बकाया भुगतान के लिए संघर्षरत है। ऐसे में देशी स्त्रोतों से इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के बजाय विदेशी मक्का का विकल्प सुझाना एए देश की कृषि आत्मनिर्भरता को खोखला करना है। नीति आयोग का यह भी सुझाव है कि अमेरिका से बादाम, पिस्ता, सेब और अखरोट जैसे उत्पादों पर आयात शुल्क कम किया जाए। प्रश्न यह है कि भारत में महंगाई चरम पर है। मध्यवर्गीय और निम्न आय वर्ग पहले से ही रसोई की कीमतों से जूझ रहा है। ऐसे में विदेशी लक्ज़री खाद्य पदार्थो के लिए बाजार खोलना किसकी प्राथमिकता है? यह विडंबना है कि जिन नीतियों को भारत के किसानों के लिए बनना चाहिए, वे आज अमेरिका के व्यापारिक एजेंडे से प्रेरित प्रतीत होती हैं। क्या देश की कृषि नीति अब वाशिंगटन के लॉबियों से निर्देशित होगी? क्या हम भारत के किसानों को छोड़कर अमेरिकी किसानों के हितों के रक्षक बनते जा रहे है।

पितृ पक्ष के पहले दिन लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, आखिर कैसे करेंगे तपर्ण व श्राद्ध कर्म

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

डॉ. सुदीप जैन

अजमेर। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जहां एक ओर पितृपक्ष की पवित्र शुरुआत होगी, वहीं दूसरी ओर उसी दिन वर्ष का दूसरा चंद्रग्रहण भी लगेगा। यह संयोग इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि पितृपक्ष वह समय होता है जब माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और इस बार ठीक उसी क्षण चंद्रमा भी ग्रहण की छाया में डूबा रहेगा।

साल 2025 में चार ग्रहण लगने थे, जिसमें दो लग चुके हैं। अब आखिरी दो ग्रहण सितंबर महीने में लग जाएंगे। यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसी महीने में पितृ पक्ष होगा, जिसमें श्राद्ध और तपर्ण जैसे कर्म किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण इसी दौरान पड़ेंगे, जिससे एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि कैसे श्राद्ध और तर्पण किए जाएंगे।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) के अनुसार 7 सितंबर को साल 2025 का अंतिम चंद्र गृहण लगेगा। खास बात यह है कि इस दिन पितृ पक्ष की भी शुरुआत हो रही है, जिससे यह तारीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण रात 9.58 मिनट से शुरू होगाए जो कि रात 1. 26 तक चलेगा। ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट और 2 सेकेंड तक प्रभावी रहेगा। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र पर लगेगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी लगेगा। ज्योतिष के अनुसार सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है। इस हिसाब से 7 सितंबर को दोपहर 12. 58 पर सूतक काल शुरू होगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है। इसी दिन पितृ पक्ष की भी शुरुआत है। ऐसे में कब पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म किए जाएं? इस सवाल का जवाब है कि पितृ को तर्पण देने किसी भी हालत में सूतक काल से पहले कर देना है। 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे से पहले सारे श्राद्ध कर्म निपटा लेना ही ठीक होगा।

यह खगोलीय घटना भारत सहित एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में दिखाई देगी। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं। ऐसे में जब उनका आगमन चंद्रग्रहण की छाया के बीच होगा, तो यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है, बल्कि इसके ऊर्जा स्तर पर गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। ग्रहों की अशुभ चाल और सूतक की अवधि के चलते तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह संयोग संकेत करता है कि यह समय केवल कर्म का नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का भी है।

वर्ग पहेली

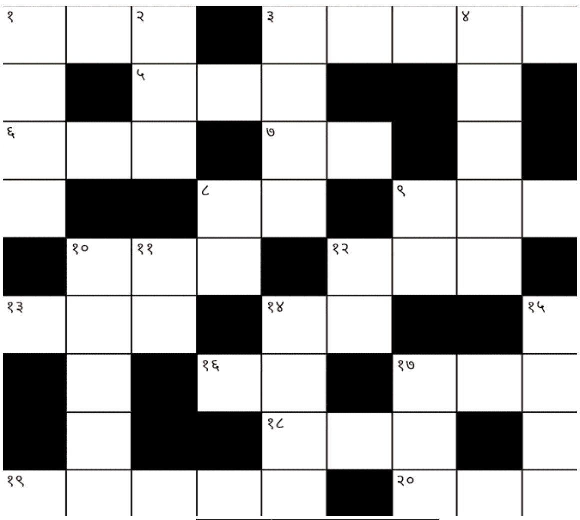

बाएं से दाएं

1. ज्वाला, हाथ में पकड़ा जाने वाला अग्निपुंज (3)
3.सौभाग्यवती स्त्री के आंचल में शगुन देना, एक संस्कार (5)
5. बकाया वस्तु या धन की उगाही (3)
6. समुद्र देवता (3)
7. केश, बच्चा, शिशु (2)
8. रसोईए धागा (2)
9. दुछ्ती, अँगीठी (3)
10. जो पीछे रह गया हो (3)
12. दूरी (3)
13.विपरीत (3)
14.देवलोक, जन्नत (2)
16.संध्या (2)
17.पहाड़ या धरती के भीतर निर्मित संकरा मार्ग (3)
18. पृथ्वी (3)
19. भिन्न भिन्न प्रकार (5)
20. रसिक (3)

ऊपर से नीचे.

1. अलता, पैरों पर लगाया जाने वाला लाल रंग (4)
2. नमक (3)
3. गोलियां चलना (4)
4. रक्षा, पालन.पोषण (5)
8. अफीम का दूध निकाला फूल, बड़ी इलायची (2)
9. जो अच्छा न हो (2)
10. एक साथ चढ़ बैठना, टूट पड़ना (5)
11, दृश्य, शोभा, छवि (2)
12, किला (2)
14, अपना पति स्वयं चुनने की एक प्राचीन पद्धति (4)
15, पागलों की तरह बरताव करने वाला (4)
17, दोष दूर करना, संशोधन (3)

वर्ग पहेली नंबर का हल

हॉ		तै		म		बु		न
	ह	र	फ	न	मौ	ला		र्त
जा		ना		मि		वा	म	न
	ह			ल	त			
ना	क	क	ट	ना		आ		ऑ
		स			ल	ग	भ	ग
मा	न	म	र्द	न		ल		न
		सा		दी		गा		
पा	ल	ना			अ	ना	मि	का

बीज कानून पाठशालाः आरबी सिंह, बीज कानून रत्न की कलम से..

मौखिक नही लिखित बीज कानून ज्ञान दान से आएगा बदलाव ..

हलधर किसान. इंदौर।

बीज खेती किसानी का आधार है। अतः इसकी गुणवत्ता उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम होनी चाहिए। इसके लिये भारत सरकार ने बीज अधिनियम.1966, बीज नियम.1968 तथा बीज नियन्त्रण आदेश.1983 लागू किये। इन अधिनियमों की पालना कर उत्पादक बीजोत्पादन करते हैं, बीज विक्रेता बीज का विक्रय करते हैं तथा बीज निरीक्षक एवं बीज लाइसेंसिांग प्राधिकारी बीज की उत्तम ही नहीं उत्तमोत्तम गुणवत्ता नियन्त्रण करते हैं और इन कानूनों की अवहेलना करने वालों को दण्ड देते हैं। कई बार कुछ अधिकारी अति उत्साह में ऐसी आपत्तियां लगा देते हैं जिनका बीज कानूनों में प्रावधान ही नहीं है और कई बार अपनी कुरीतियों को कानून मान लेते हैं अतः बीज उत्पादकों एवं बीज विक्रेताओं पर यह भार आ जाता है कि उन्हें बीज कानूनों का समुचित ज्ञान हो।

बीज कानूनी ज्ञान के द्वारा बीज व्यापारी अनुचित बातों का सामना करने की क्षमता बना पायेंगे और अपने न्यायिक विवादों में वकीलों को नवीनतम परिवर्तनों का ज्ञान प्रदान कर अपनी स्थिति मजबूत कर सकेंगे। बीज कानूनों के ज्ञान के अभाव में बीज उत्पादकों और बीज व्यापारियों के पास कृषि अधिकारियों के अनुचित असंगत आदेशों को मानने के अलावा कोई समाधान नहीं होता है। बीज व्यापारी कृषि अधिकारियों के इन आदेशों से कुंठित होते हैं और केवल कृषि अधिकारियों को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते।

मनुष्य जन्म से ज्ञान प्राप्त करने लगता है शैशव अवस्था में मां सेज्ञान प्राप्त करता है कुछ समय परिवार के व्यक्तियों, बचपन में अपने साथियों और युवा होने पर अपने अध्यापकों से ज्ञान प्राप्त करता है परन्तु विशेष ज्ञान चाहे वह बीज कानून ज्ञान हो उसे पाने के लिए विशेष यत्न करने होते हैं।

हमारे देश के बीज उद्योग में लगे हुए लगभग 50 वर्ष का समय गुजर गया परन्तु बीज कानून के बारे आधारभूत भी ज्ञान नहीं है और इसका यह प्रतिफल है कि विभाग की गलत सही बातों को मानने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है।

मैंने चार पुस्तकें 1 बीज उद्योग एवं बीज निरीक्षकए 2.बीज उद्योग एवं बीज नियामक, 3 बीज कानून मंत्र, 4 लेबल बीज के सिद्धान्त प्रकाशित की जो सरल, परिमार्जित हिन्दी में है परन्तु कोई उत्साह नहीं दिखाया।

उपरोक्त संस्थाओं ने इस बीज कानून की जानकारी के साहित्य को बीज विक्रेताओं में बांटा।

उनको अपने अधिकारी की जानकारी हुई और ज्ञान प्राप्त होने से उन्होंने अपनी समस्यायें स्थानीय अधिकारियों / कृषकों के मध्य सुलझा ली और उन शिकायतों को बीज उत्पादकों तक नहीं भेजा। बीज उत्पादक प्रति वर्ष अपने डीलर्स की मिटिंग करते हैं, उनकी आवभगत और उनको दिए जाने वाले उपहार में काफी धन व्यय करते हैं। उसमें मात्र 20- 25 हजार की बीज कानून की पुस्तकें देकर उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। बीज युनियनें भी राष्ट्रीय, प्रादेशिक सम्मलेन बुलाती है काफी धन लगाती है और उनमें भी बीज कानून के साहित्यों को अपने व्यापारियों में बांटे/ सरकारी/ सहकारी संस्थाऐं अपनी मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक कान्फ्रेस बुलाती है परन्तु उन्हें बीज कानून ज्ञान नहीं दिया जाता। देश के विभिन्न राज्यों में लाखों बीज उत्पादक होंगे कतिपय उत्पादकों को छोड़ कर किसी के पास कृषि विज्ञान, बीज विज्ञान एवं तकनीकि या बीज कानूनी ज्ञान की पुस्तकें जैसे बीज अधिनियम 1966, बीज नियम.1968, बीज नियन्त्रण आदेश 1983, भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकी की पुस्तकें नहीं होंगी। जबकि ये उत्पादक 50 हजार से एक लाख क्विंटल तक बीज वितरित करते हैं। कृषि अधिकारी भ्रष्ट है कहकर अपनी भडास निकाल कर सब कुछ निराकरण कर लेते हैं और स्वछिद्रानवेषण नहीं करते हैं।

लेखक..

आर.बी सिंह, बीज कानून रत्न, एरिया मैनेजर (सेवानिवृत) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि. सम्प्रति कला निकेतन, ई.70, विधिका.11, जवाहर नगर, हिसार.125001 (हरियाणा), दूरभाष 79883.04770, 94667.46625

संकलन सहयोगी- मनमोहन कलंत्री, मानसिंह राजपुत, संजय रघुवंशी, श्रीकृष्णा दुबे, कृषि आदान विक्रेता संघ

टैरिफ वारः चीन पर अमेरिका से सोयाबीन आयात चौगुना करने का दबाव, कीमतों में आया उछाल

नई दिल्ली. अमेरिका.चीन टैरिफवार्ताओं के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से अमेरिकी सोयाबीन खरीद में तेजी से बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजिंग को सोयाबीन आयात चौगुना करना चाहिए। उनका कहना था कि इससे चीन की आपूर्ति की समस्या कम होगी और दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का व्यापार अंतर घटेगा। उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसके लिए अग्रिम धन्यवाद भी दिया।

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफयुद्ध विराम 12 अगस्त को समाप्त हो गया था, लेकिन दोनों देशों ने इसे 90 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक और खपत करने वाला देश है। अमेरिकी कृषि विभाग की फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस के अनुसार 2025-26 में 12.44 करोड़ टन की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीन को 10.6 करोड़ टन सोयाबीन आयात करने की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल चीन ने लगभग 10.5 करोड़ टन सोयाबीन का आयात किया था, जिसमें से 2.21 करोड़ टन (करीब 12 अरब डॉलर) अमेरिका से आया।

हाल के वर्षों में चीन ने सोयाबीन खरीद में विविधता लाई है। वह 15 देशों से इसका आयात करता है, फिर भी ब्राजील और अमेरिका उसके मुख्य आपूर्तिकर्ता बने हुए हैं। कम दामों की वजह से ब्राजील ने बाजार हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है, जबकि अमेरिकी शिपमेंट स्थिर रहे हैं। चीन के कुल आयात का लगभग एक चौथाई अमेरिका से आता है और इसे चौगुना करने के लिए चीन को पहले से कहीं अधिक अमेरिकी सप्लाई पर निर्भर होना पड़ेगा। वैसे, एक तथ्य यह भी है कि चीन में सोयाबीन की मांग की वृद्धि दर धीमी हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता पोर्क से हटकर चिकन और मछली जैसे प्रोटीन स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं।

ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुए फेज़ वन ट्रेड डील के तहत चीन ने अमेरिकी कृषि आयात बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन वह लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया।

इस साल चल रहे व्यापार तनाव के बीच, चीन ने अब तक चौथी तिमाही के लिए कोई अमेरिकी सोयाबीन नहीं खरीदा है, जिससे अमेरिकी फसल निर्यात सीज़न को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इसके बावजूद, ट्रंप के बयान के बाद शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन वायदा कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई और भाव 10. 11 प्रति बुशल तक पहुंच गए।

खरपतवारनाशक से सोयाबीन की फसल हुई खराब, केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने किया निरीक्षण

हलधर किसान रायसेन। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के छीरखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया।

केंद्रीय मंत्री को शिकायत मिली थी कि, खरपतवारनाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान, अचानक खेतों में पहुंचे और सैकड़ों किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री श्री चौहान ने पाया कि खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार खड़े हैं और पूरी फसल जल चुकी है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह नुकसान कंपनी की दवा डालने से हुआ है।

श्री चौहान ने कहा कि यह समस्या सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस मामले में की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिकों का दल प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगा और जांच कर दोषी कंपनी के खिलाफसख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रीके निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तत्काल जांच समिति गठित कर दी गई है। इस समिति में के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के निदेशक डॉ. जेएस मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही, अटारी जोन 9 के निदेशक डॉ. एसआरके सिंह, रायसेन. विदिशा जिले के कृषि उप संचालक एवं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है ।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान की फसल चली गई तो उसकी जिंदगी ही चली गई। किसानों को राहत जरूर मिलेगी और इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। यह भीसाफ किया कि रायसेन के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया प्रतिवेदन सही नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच यह नई टीम करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को पूरा न्याय मिलेगा और नकली कीटनाशक, खाद.बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा जो नकली और खतरनाक दवाइयां बेचकर किसानों के साथ धोखा करती हैं।

पंजाब सरकार ने विवादित लैंड पूलिंग नीति वापस ली, किसानों के विरोध के चलते लिया निर्णय

हलधर किसान
नई दिल्ली.

बढ़ते राजनीतिक विवाद और किसानों के विरोध के चलते पंजाब सरकार ने विवादित लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को वापस ले लिया है। इस नीति के तहत किए गए सभी संशोधन वापस ले लिए गये हैं। पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि राज्य सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी और इसके तहत किए गये सभी संशोधनों, फैसलों आदि को वापस ले लिया है।

इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने नीति के कानूनी औचित्य, पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास को लेकर सख्त सवाल उठाए थे। राज्य भर में किसान संगठन और राजनीतिक दल भगवंत मान सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। कई पंचायतों ने स्पष्ट शब्दों में भूमि देने से इनकार करते हुए विरोध दर्ज कराया था।

लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लिए जाने के फैसले को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा यह असल में जमीन हड़पने की योजना थी, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के बिल्डरों से 30, 000 करोड़ रुपये जुटाकर देशभर में पार्टी का विस्तार करना चाहती थी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इसे किसानों के संघर्ष की जीत करार दिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग दोहराई।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिन नं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 98262 25025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)